

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय-आदेश

कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न प्रतिशोध आदि के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 13.08.1997 के सन्दर्भ में शा० सं०- 679/60-3-2001-3(42)/97 दिनांक 20.03.2021 के प्रस्तर-5 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय आदेश सं०-65/प्र०सु०प्र०/ 792(भाग-2)/ सं०अनु०-1 दिनांक 16.01.2020 में एक शिकायत समिति (कम्पलेन्ट कमेटी) का गठन किया गया था, जिसमें कम संख्या 1 एवं 2 पर नामित अधिकारियों के स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप निम्नानुसार नयी समिति गठित की जाती है:-

1. डा० नीलम बाला,

अध्यक्ष

उपनिदेशक, कुक्कुट, मुख्यालय।

मो०न०-6307310934

2. डा० इति मिश्रा,

सदस्य

उपनिदेशक, एम०वी०यू०, मुख्यालय।

मो०न०-9451388890

3. डा० शिप्रा दत्ता,

सदस्य

उपनिदेशक, लघुपशु, मुख्यालय।

मो०न०-9412193748

4. डा० राजेश्वर सिंह,

सदस्य

संयुक्त निदेशक, कुक्कुट, मुख्यालय।

मो०न०-8115270265

5. श्रीमती शिवकुमारी तिवारी,

सदस्य

एन०जी०ओ० का नाम-शिव शक्ति सेवा संस्थान,

म०न०-26, बीरबल साहनी मार्ग रोड,

शिवधाम, निकट हनुमान सेतू, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।

मो०न०-9336711555, 9889030276

6. मो० तारिक सिद्दीकी,

सदस्य

अपर सांख्यिकीय अधिकारी, मुख्यालय।

मो०न०-9415141811



(डा० पी०एन० सिंह)

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास।

संख्या: 1984/स्था०-3/34(1485)

दिनांक 10-10-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपरोक्त संबंधित अधिकारीगण।

2. ~~प्रमुख~~ सचिव, पशुधन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

3. सचिव, कार्मिक, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

4. सचिव, महिला एवं बाल विकास, अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

5. श्री नवीन कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मुख्यालय।

6. समस्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान कार्यालय।



(डा० पी०एन० सिंह)

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास।